न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/173

1. कल्याण सहाय पुत्र श्री रामनाथ, जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर जाट, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 07.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विचारण न्यायालय उप तहसीदार मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष हल्का पटवारी खोरालाडखानी द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 को इस आशय की पेश की कि भूमि खसरा नम्बर 3628/4321 रकबा 0.13 हैक्टयर गैर मु. नाले पर बाजरे की फसल बोकर कल्याण सहाय पुत्र रामनाथ द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण 27/2021 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 17.08.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत सम्मन जारी किये गये तथा न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामिल नही होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जाकर एवं हल्का पटवारी के बयान लिये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.2021 को पारित किया जाकर अतिक्रमी की फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा निवेदन किया गया कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 3628/432 को रकबा 0.13 हैक्टयर किया गया है वह गत रकबे से 0.06 हैक्टयर अधिक है तथा अपीलान्ट की भूमि हाल खसरा नम्बर 3486 का रकबा गत रकबे से कम कर दिया गया है तथा गैर मुमकिन नाले को वास्तविक स्थिति से गलत दिशा में दर्शाया गया है, इस कारण अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार मनोहपुर का निरस्त फरमाया जावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया था कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नक्शे में किये गये परिवर्तन को दुरूस्त करवाने बाबत अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष दुरूस्ती हेतु वाद भी प्रस्तुत कर रखा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.07.2021 को राजनैतिक द्वेषता के बिना मौके पर गये ही उक्त रिपोर्ट कब्जे के विपरित तैयार की गई है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा मौके पर पुख्ता मकानात बना रखे है जो भू प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व से ही बना हुआ है न कि बाजरे की काश्त की गई थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पप्ट है कि विवादित स्थल कभी भी गैर मु. नाले के काम नही आया बल्कि एक अन्य खसरा नम्बर 3628 मौके पर पानी बहाव का नाला है किन्तु इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 एवं उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3628/4321 रकबा 0.13 हैक्टयर गैर मुमकिन नाला है जिस पर अपीलार्थी का अतिक्रमण है तथा नदी–नाले की भूमि राजकीय भूमि है जिस पर किसी को भी अतिक्रमण करने का कानूनन अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट की गई है जिस पर उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा अपीलार्थी को नोटिस देने के उपरान्त आदेश दिनांक 17.08.2021 पारित किया गया है तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 द्वारा खारिज किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अतिक्रमित भूमि अपीलार्थी की होना साबित होता है। यदपि अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि की दुरूस्ती बाबत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन होने का कथन अपनी अपील में बताया गया है किन्तु दावा विचाराधीन होने से ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वयं की होने बाबत कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर